कार्यालय नगर पालिक निगम , रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 1826 /रा.वि./नपानि/2022 रायगढ़ दिनॉक 9.12.22

।। ऑफर दर आमंत्रण सूचना ।।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ स्वामित्व के मरीन ड्राईव रोड स्थित 24 दुकानों को **03 वर्षों** के लिये किराये पर दिये जाने हेतु यथा स्थिति में ऑफर दर आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/संस्थान दिनांक 30/12/22 समय 05.30 बजे तक अपना ऑफर दर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से बंद लिफाफा में निर्धारित अमानत राशि के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त ऑफर दिनाक 02/01/23 को समय 04:00 बजे ऑफरदाताओं के समक्ष दर खोली जाएगी। ऑफर प्रपत्र कार्यालयीन समयावधि में इस कार्यालय से दिनांक 29/12/22 तक शुल्क राशि रूपये 500.00 (पॉच सौ रु.) जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

दुकानों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	आरक्षित वर्ग	दुकान क्रमांक	दुकानों का साईज वर्गफीट में	निर्धारित ऑफसेट प्राईज वार्षिक किराया
1	अनुसूचित जाति	07, 17, 21	120 वर्गफुट	7,200/-
2	अनुसूचित जाति (महिला)	13	120 वर्गफुट	7,200/-
3	अनुसूचित जनजाति	05, 11, 19	120 वर्गफुट	7,200/-
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	03, 15, 23	120 वर्गफुट	7,200/-
5	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	09	120 वर्गफुट	7,200/-
6	विधवा/परित्यक्ता महिला	02	120 वर्गफुट	7,200/-
7	शिक्षित बेरोजगार	01	120 वर्गफुट	7,200/-
8	अनारक्षित	04, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	120 वर्गफुट	7,200/-
9	अनारक्षित (महिला)	06	120 वर्गफुट	7,200/-

नोट:-

1. नगर निगम द्वारा जारी ऑफर प्रपत्र ही स्वीकार किया जावेगा।
2. एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र तथा अमानत राशि का चेक ऑफर प्रपत्र लिफाफा के साथ निर्धारित अमानत रु. 20,000/- (बीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, आयुक्त नगर पालिक निगम,रायगढ़ के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. नगर पालिक निगम, रायगढ़ के बकायादारों का ऑफर दर स्वीकार नहीं होगा।
4. किसी भी ऑफर को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित होगा, इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
5. अन्य नियम एवं शर्तें ऑफर प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट **www.nagarnigamraigarh.com** पर अवलोकन एवं डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1826 /रा.वि./नपानि/2022 रायगढ़ दिनॉक 9.12.22

प्रतिलिपि:-

1. मान.महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष/राजस्व प्रभारी नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
2. कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
3. सहा.जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु सूचनार्थ।
4. कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
5. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
6. वेब साईट में अपलोड हेतु।
7. संपादक .... को सूचनार्थ। कृप्या उक्त ऑफर सूचना का प्रकाशन दो कॉलम .... स्पेस में किया जाकर देयक समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित प्रेषित करें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्रमांक .... /रा.वि./न.पा.नि./2022 रायगढ़ दिनांक ....

।। दुकानों की ऑफर हेतु नियम व शर्त ।।

1. नगर निगम द्वारा जारी ऑफर प्रपत्र ही स्वीकार किये जावेगें।
2. एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र तथा अमानत राशि का चेक ऑफर प्रपत्र लिफाफा के साथ निर्धारित अमानत रु. 20,000/- (बीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, आयुक्त नगर पालिक निगम,रायगढ़ के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. ऑफर में प्राप्त उच्चतम दर की स्वीकृति किया जावेगा स्वीकृत राशि वार्षिक किराया मानी जावेगी।
4. अमानत राशि किराया या स्वीकृत ऑफसेट प्राईज में समायोजित नहीं किया जावेगा। दुकान सौंपने पर बिना ब्याज के मूल राशि वापिस किया जावेगा।
5. नगर पालिक निगम, रायगढ़ के बकायादारों का ऑफर दर स्वीकार नहीं होगा।
6. ऑफर प्रपत्र में किसी प्रकार का शर्त उल्लेख करने पर ऑफर स्वीकार योग्य नही होगा।
7. एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र तथा ऑफर आमंत्रण सूचना में दर्शित निर्धारित अमानत राशि का बैंक ड्राफट या बैंकर्स चेक संलग्न करना होगा अन्यथा ऑफर प्रथमतः निरस्त माना जावेगा।
8. आरक्षित वर्ग के दुकानों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. आरक्षित वर्ग की दुकानों के लिये पात्र व्यक्ति ही प्रमाण पत्र के साथ ऑफर दर प्रस्तुत कर सकते हैं अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत ऑफर स्वीकार नही होगा।
10. प्रथम एवं द्वितीय ऑफरदाता का अमानत राशि रोक कर शेष ऑफरदाताओं का डी.डी. वापिस किया जावेगा।
11. उपरोक्त आबंटित दुकानें परिवार के सदस्यों के नाम से हस्तांतरित की जा सकेगी अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा।
12. उच्चतम ऑफरदाता को ऑफर दर स्वीकृति सूचना के 30 दिवस के अंदर वार्षिक किराया की संपूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं करने पर जमा राशि राजसात करते हुए आबंटन निरस्त कर दी जावेगी।
13. स्वीकृत किराया राशि में नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. जमा करना होगा।
14. प्रथम उच्चतम ऑफरदाता का राशि जमा करने के पश्चात् ही द्वितीय ऑफरदाता की अमानत राशि वापिस की जावेगी।
15. प्रथम उच्चतम ऑफरदाता द्वारा सूचना प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर एक वर्ष का किराया राशि जमा नहीं करने पर अमानत राशि राजसात करते हुए, द्वितीय ऑफरदाता की राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही किया जावेगा।
16. ऑफर दर समान होने की स्थिति में लॉटरी पद्धति से ऑफर दर स्वीकृति की कार्यवाही किया जावेगा।
17. उच्चतम ऑफर स्वीकृति के पश्चात् किरायेदार को 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित कर समक्ष नोटरी से सत्यापित कर कार्यालय में जमा करना होगा।

क्रमशः-02

CamScanner

18. किरायेदार आबंटित दुकान को उप किरायेदारी, सबलेट तथा विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।
19. उक्त दुकानें शासन के नियमानुसार फ्री होल्ड नहीं किया जावेगा।
20. किरायेदार द्वारा आबंटित दुकानों का भूमि पट्टा हेतु किसी भी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जावेगा ऐसा पाये जाने पर आबंटन तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही किया जावेगा।
21. किरायेदार द्वारा प्रत्येक माह के 30 तारीख के अन्दर किराया जमा करना होगा अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक सरचार्ज निर्धारित जी.एस.टी. के साथ भुगतान करना होगा।
22. दुकानों की किराया अवधी 03 वर्षों के लिये होगी दुकान का नियमित किराया एवं सफल संचालन होने पर आगामी वर्षों के किराया हेतु 15 प्रतिशत् के वृद्धि के साथ किराया अवधी में बढ़ोतरी किया जा सकेगा।
23. दुकान यथा स्थिति में हस्तांतरित किया जावेगा दुकान में किसी प्रकार का निर्माण या अन्य व्यय हेतु निगम द्वारा किसी प्रकार का राशि देय नही होगा ।
24. भवन की वार्षिक मरम्मत रंगाई, पोताई किरायेदार को स्वयं करना होगा, बिजली कनेक्शन एवं बिजली व्यय किरायेदार को स्वयं करना होगा।
25. आबंटित दुकानों में मादक, विस्फोटक, ज्वलनशील, मांस/मटन का विक्रय एवं मवेशी बांधने का कार्य नहीं किया जावेगा।
26. दुकानों में अश्लील एवं उत्तेजक विज्ञापन लगाना प्रतिबंधित होगा।
27. आबंटित दुकानों में एवं परिसर को पूजा स्थल के रूप में परिवर्तित करना प्रतिबंध होगा।
28. दुकान में किसी प्रकार का स्वरुप में परिवर्तन आयुक्त के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
29. किरायेदार को आबंटित दुकान जिस साईज की दुकान आबंटित की गई हो उतने में ही उसको किरायेदारी का हक होगा। उपर तल या नीचले तल या सामने खाली जगह पर संबंधित किरायेदार का दावा/अधिकार नहीं होगा।
30. किरायेदार द्वारा नियमित किराया जमा नहीं करने पर आबंटन निरस्त कर दुकान से बेदखली की कार्यवाही की जा सकेगी।
31. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निगम आयुक्त को अधिकार होगा की अमानत राशि राजसात करने हुये आबंटन निरस्त कर बेदखली की कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा।
32. किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

CamScanner